अ0शा0प0–2337/9–आ–2–2001
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन,
लखनऊ–226001

पी. एल. पुनिया
आवास नगर विकास आयुक्त,
एवं प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास,
नगरीय क्षेत्र रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

लखनऊः दिनाँक– 27 जुलाई, 2001

प्रिय महोदय,

उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 34 तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 41 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद को उनके द्वारा विकसित की गई कालोनियों को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को हस्तान्तरित करवाने के प्राविधान हैं।

2. उपरोक्त प्राविधानों के होते हुए भी काफी समय से ऐसी कालोनियों का हस्तान्तरण सम्बन्धित स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप एक ओर प्राधिकरणों/परिषद पर अनुरक्षण का व्यय भार पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर इन नई कालोनियों से हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स न मिल पाने के कारण स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को वित्तीय हानि उठानी पड़ रही है।

3. कालोनियों के हस्तान्तरण न होने के कारण प्राधिकरण/परिषद का अधिकतर स्टाफ नगरों के नियोजित विकास के अपने मूल उद्देश्य से हटकर केवल कालोनियों के रख–रखाव में व्यस्त है। जिसके कु–प्रभाव के रूप में नगरों के नियोजित विकास की प्रक्रिया में निरन्तर शिथिलता आ रही है।

4. अतः उपरोक्त विषय में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों को शीर्ष प्राथमिकता पर चरणबद्ध रूप से स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव कालोनियों की अवस्थापना सुविधाओं को स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों को हस्तान्तरित करने के लिए बनाई गई "दिशा–निर्देश" की प्रति संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उपरोक्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में शासन की उच्च प्राथमिकता के दृष्टिगत अपेक्षित है कि आप अपने मण्डल में स्थित ऐसी कालोनियों की अवस्थापना सुविधाओं को उक्त "दिशा–निर्देश" के अनुसार स्थानीय निकायों तथा जलसंस्थानों को हस्तान्तरित करवाने का कार्यक्रम निर्धारित कर शासन को ई.मेल (awas@up.nic.in) के माध्यम से सूचित करते हुए आगामी दो माह में क्रियान्वित कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

पी. एल. पुनिया

प्रिय

उपरोक्त की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से समस्त उपाध्यक्षों तथा आवास आयुक्त को उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन कराने में मण्डलायुक्त को यथासम्भव सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।

पी. एल. पुनिया

प्रमुख सचिव, (आवास)
उ0प्र0 शासन।
प्रिय
उपरोक्त की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि आप अपने स्तर से समस्त मुख्य नगर अधिकारियों तथा अधिशाषी अधिकारियों को उपरोक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन कराने में मण्डलायुक्त को यथासम्भव सहयोग प्रदान करें।

पी. एल. पुनिया

श्री जे. एस. मिश्रा,
सचिव, (नगर विकास)
उ0 प्र0 शासन।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
2. उपाध्यक्ष, समस्त प्राधिकरण उ0प्र0,
3. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम उ0प्र0,
4. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

पी. एल. पुनिया

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों को नगर निगम/नगर पालिका परिषद, जलनिगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश विकसित कालोनियों की अधोलिखित विकास सुविधाओं को उनके सामने अंकित विभागों को हस्तान्तरित किया जाना है :–

क्र0 सं0 विकास कार्य विभाग का नाम
1 सड़क, बरसाती नाला, पार्क एवं नगर निगम/नगर पालिका परिषद वृक्षारोपड़ तथा स्ट्रीट लाइट
2. जलापूर्ति एवं सीवेज डिस्पोजल जल संस्थान हस्तान्तरण की प्रक्रिया :

1. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद हस्तान्तरण योग्य कालोनी का नाम तथा विकास कार्य का विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में अंकित कर उपरोक्त इंगित संदर्भित विभागों को दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

2. प्राधिकरण/परिषद द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के 15 दिन के अन्दर उभय पक्षों द्वारा संयुकत स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उभय पक्षों की सहमति से अवशेष विकास कार्यों को या तो विकास प्राधिकरण/परिषद द्वारा एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाएगा अथवा अवशेष कार्यों की लागत धनराशि सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जल संस्थान को उपलब्ध करायी जाएगी। उपरोक्त धनराशि का प्रयोग सम्बन्धित निकाय/जल संस्थान द्वारा उसी योजना की अपूर्ण/क्षतिग्रस्त सेवाओं को पूर्ण/मरम्मत

कराने में ही व्यय किया जाएगा। जिसका भुगतान दोनों संस्थाओं की सहमति से कार्य की प्रगति के अनुसार चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

4. अवशेष एवं अधूरे कार्यों की लागत का व्ययानुमान योजना की सेवाओं के हस्तान्तरण के समय पानी की सफाई तथा सीवर के कार्यों के लिए जल निगम का प्रचलित शेड्यूल ऑफ रेट तथा अन्य कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के प्रचलित शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक व्यवस्था :

1. मण्डलायुक्त द्वारा सेवाओं के हस्तांतरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा जिसके अनुसार सम्बन्धित प्राधिकरण, परिषद, स्थानीय निकाय एवं जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा सेवाओं के हस्तांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी स्तर पर कोई शिथिलता या उदासीनता पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी एवं कृत कार्यवाही शासन के संज्ञान में भी लाई जायेगी।

2. कालोनियों के हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा निम्न अधिकारियों की समिति गठित की जाएगी :

(i) उपाध्यक्ष, सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी।

(ii) मुख्य नगर अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम अथवा अधिशाषी अधिकारी सम्बन्धित नगर पलिका परिषद।

(iii) महाप्रबन्धक, सम्बन्धित जल संस्थान।

3. विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद तथा स्थानीय निकाय/जल संस्थान विचार विमर्श कर परस्पर सहमति से योजनाआ की सेवाओं का हस्तान्तरण करेंगे परन्तु हस्तान्तरण प्रक्रिया में आने वाले विवाद की स्थिति में मण्डलायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। आवश्यकतानुसार मण्डलायुकत किसी विशेष बिन्दु पर शासन का मार्ग निर्देशन/अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

4. हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण/आवास विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान के विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत रूप से निर्धारित करेंगे।

5. सेक्टर वाईज हस्तान्तरण को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु ऐसा सम्भव न होने की दशा में सेक्टर के विकास से सम्बन्धित विभिन्न सेवायें अलग–अलग भी हस्तान्तरित की जा सकेंगी।

हस्तान्तरित होने वाले अभिलेख :

प्राधिकरणों/परिषदों द्वारा मुख्यतः निम्न अभिलेख दो प्रतियों में सम्बन्धित स्थानीय निकाय/जल संस्थान को उपलब्ध कराए जायेंगेः–

1. कालोनी के सम्बन्ध में प्रमुख सूचनाएं जैसे क्षेत्रफल, भू–उपयोग, विकसित भवनों/भूखण्डों का प्रकार एवं संख्या, कम्यूनिटी सेन्टर शापिंग कम्पलेक्स, पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख जिससे प्रथम दृष्टया कालोनी की समस्त प्राविधानों की जानकारी हो सके।

2. कालोनी के तलपट मानचित्र पर हस्तान्तरित की जाने वाली सुविधाओं जिनका विवरण निम्न है को उसकी समस्त भौतिक एवं तकनीकी विवरण के साथ अंकित किया जायेगा।

(i) वाटर मेन, सीवर लाइन, सड़क, नाली एवं पुलिया, स्ट्रीट लाइट, ट्यूब–वेल, ओवर हैड टैंक, अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक, सम्प–बेल, पार्क, ग्रीन बेल्ट एवं वृक्षारोपड़ आदि।

(ii) जोनल सीवेज पम्पिंग स्टेशन तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी अलग से प्राधिकरण/परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्मचारियों की सेवाओं का हस्तान्तरण :

स्थानान्तरित होने वाली उक्त कालोनियों की सेवाओं के रख–रखाव हेतु प्राधिकरण/परिषद में बिना स्वीकृत पदों पर कुछ ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाओं की आवश्यकता कालोनियों के हस्तान्तरण के पश्चात् नहीं रह जायेगी। वही जल संस्थान एवं स्थानीय निकाय में कर्मियों की कमी के कारण रख–रखाव कार्य में बाधा आ

सकती हैं। अतः तत्सम्बन्धी स्थानान्तरित होने वाले सेवा में वर्तमान में कार्यरत वर्कचार्ज/डेलीवेजेज के ऐसे जानकार पम्प आपरेटर, ट्यूब–वेल आपरेटर, सीवेज प्लांट आपरेटर, चौकीदार, मार्गों तथा नालियों के रख–रखाव में कार्यरत बेलदार, मेट, सफाई कर्मचारी सुपरवाईजर की सेवाएं साथ में स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान को स्थान्तरित कर दी जाएगी।

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कालोनियों के हस्तान्तरण के समय स्थानीय निकाय तथा जल संस्थान को दी जाने वाली सूचनाओं का विवरण :

(अ) नगर निगम/नगर पालिका परिषद को हस्तान्तरित करने हेतु :–

1. Roads :

सड़कों की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगीः

1.1 समस्त आंतरिक तथा जोनल सड़के।

1.2 समस्त जोनल मार्गों का मुख्य नगरीय मार्ग से स्पदांहम

2. drains & culverts :

नालियों तथा नालों की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगीः

2.1 मार्गों के किनारे स्थित समस्त के. सी. ड्रेन, डीप ड्रेन, तथा जोनल ड्रेन्स।

2.2 नाले तथा नालियों का सेक्शन तथा लम्बाई तथा फ्लो की दिशा।

2.3 कल्वर्ट्स की स्थिति तथा उसका सेक्शन।

3. Park & greenbelts and dustbins :

पार्क तथा ग्रीन बेल्ट की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगीः

3.1 समस्त पार्क एवं ग्रीनबेल्ट, उनका लोकेशन तथा क्षेत्रफल एवं साईड्स की मापें।

3.2 कूड़ाघर व अन्य सामुदायिक सुविधाएं।

4- street lights :

स्ट्रीट लाईट्स की निम्न विशिष्टयां तलपट मानचित्र पर अंकित की जाएंगीः

4.1 सड़क पर स्ट्रीट लाईट्स के पोल्स का लोकेशन तथा उनका लगाए गए पोल्स का सेक्शन।

(ब) जल संस्थान को हस्तान्तरित करने हेतु

4- sewer :

सीवर की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर अंकित की जायेगी।

1.1 ब्रांच, मेन तथा ट्रंक सीवर का सड़क पर लोकेशन तथा उसका व्यास।

1.2 सीवर का स्लोप तथा हाईरेक्शन।

1.3 समस्त Main Hole जिसमें उनका आकार, संख्या, स्थिति, तथा उनकी गहराई अंकित हो।

1.4 Sump Well की स्थिति तथा उसके कपेबींतहम का विवरण तथा Out Falls.

1.5 सेक्टर/जोनल पंपिंग स्टेशन का सम्पूर्ण विवरण जिसमें पंम्पिंग के लिए लगाये गये Electric/Diesel Pumps की क्षमता दर्शायी गई हो।

1.6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान/सीवेज फार्म के प्रस्ताव का विवरण एवं डिजाइन में अपनाए गए टोपोग्राफिकल एवं तकनीकी मापदण्ड का सम्पूर्ण विवरण।

2. water supply :

जलापूर्ति की निम्न विशिष्टियां तलपट मानचित्र पर दर्शित की जाएगी :

2.1 सेक्टर तथा जोनल वाटर मेन्स, उनका व्यास तथा सड़क पर उनका लोकेशन।

2.2 निर्मित ट्यूब–वेल एवं ओवर हैड टैंक्स, राइजिंग मेन तथा उनका व्यास एवं लोकेशन।

2.3 गेट वाल्व/सुर्ल्ईस वाल्व तथा फायर हाईडेन्ड की स्थिति।

2.4 प्रस्तावित ट्यूब–वेल एवं ओवर हेड टैंक को भी दर्शित किया जायेगा।